

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व में)

रा.आ.बैंक सुवृद्धि (कर बचत) सावधि जमा योजना

मुख्य विशेषताएं

1. ब्याज दर : (प्रति वर्ष) 01.01.2015 से लागू

जमा अवधि	ब्याज दर(%)**	वार्षिक लाभ (%)
60 मास	8.50	8.77

वरिष्ठ नागरिकों के लिए : अतिरिक्त दर 0.60% प्रति वर्ष

जमा अवधि	ब्याज दर(%)**	वार्षिक लाभ (%)
60 मास	9.10	9.42

*उपर्युक्त ब्याज दरें आज तारीख पर प्रस्तावित हैं और गणना तिमाही आधार पर की जाएगी ।

रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार उपर्युक्त ब्याज दरें किसी भी समय बिना कोई नोटि सदिये पर िवर्तित/ संशोधित कर सकता है।

जमा राशि - न्यूनतम 10,000 रु. और अधिक समान गुणकों में किंतु अधिकतम 1,00,000/- रु. प्रति वित्त वर्ष ।

कौन जमा कर सकता है - व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार

योजना के तहत ब्याज विकल्प - समेकित ब्याज विकल्प/गैर-समेकित ब्याज विकल्प

धारा 80सी के तहत कर लाभ - सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित, भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2009 एस. ओ.21(ई) में प्रकाशित

नामांकन - उपलब्ध है

ब्याज पर टैडीएस - ब्याज भुगतान राशि से स्रोत पर आय-कर की कटौती आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों, यथा समय-समय पर लागू और उनके तहत पारित नियमों के अनुसार की जाएगी । आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक वित्त वर्ष में 5,000/- रुपये तक की ब्याज राशि पर स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी ।

निम्न लिखित के लिए क्लिक करें

योजना के नियम एवं शर्तें

अनुबंध - I

अनुबंध - II

आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें

व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित परिवार

कैसे जमा करें :

अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित पर हमसे सम्पर्क करें :

(फोन नं.011-24649031-35) या ई-मेल-fd@nhb.org.in